

## Introduction:

With the upsurge of tourism in the country, instances have come to the notice of the tourism department where tourists have been extorted by shopkeepers, unauthorized guides, touts hawkers and lapakas even harassed by auto rickshaw drivers. Large number of these people can be seen at places visited by tourists such as airports, bus stands, monuments etc. they not only cheat the hapless tourists but also are a nuisance for them.

Tourist Assistance Force (TAF) scheme was started by the tourism department in the year 2000. At present 139 TAF personnel are deployed at prominent sites of tourist interest in following destinations:

Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bharatpur, Bikaner, Chittaurgarh, Sawai Madhopur, Ajmer- Pushkar, Mount Abu, Jhalawar, Bundi, Kota, Alwar, Udaipur and Abhaneri (Dausa). To enhance the safety and security of tourists visiting the State, the Tourism Department has increased the number of TAF personnel to 139 and new destinations have been added i.e Kota, Alwar, Udaipur, and Abhaneri (Dausa).

In addition to the above Keeping in view of increasing the security Threats of the tourists, the state government has sanctioned tourism police stations in Jaipur, Udaipur and Jodhpur in the year 2013, are which currently helping and protecting the tourists, take legal action on the complaints received by them from the tourists and snatchers.

,

## Tourist Assistance Booth

Tourist assistance booths have been established at Jantar Mantar (City Palace), Amber, Jalmahal and Albert Hall in Jaipur.

You can Take help of Tourist Assistance Force To Know about the locality of sites and respectiv distance.

In case of harassment by Peddlers, Hawkers, Touts, Beggars etc.

To take guidance about local law and order, security and hazards and for that free pamphlet of " Dos and Don'ts " are provided to tourists by TAF personnel.

To take information about authorised taxi stand, ATM,s Money Exchange, Guest Houses,Hotels, Restaurants etc.


o take guidance about medical facilities available nearby Recently on- call ambulance ( Phone No. 108) facility has been provided by govt.and TAF personnel guides the tourists in emergency




## Achievements :-

1. राजस्थान विधानसभा के वर्ष 2021 के सत्र में विधेयक पारित किया गया जिसमें राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम 2010 में संशोधन कर पर्यटकों के साथ होने वाले सभी अपराधों को संज्ञेय एवं आदतन अपराधों को अजमानतीय किया गया।
2. वर्ष 2021–22 बजट मद में राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा के मध्यनजर बीकानेर, माउन्ट-आबू, जोधपुर, कोटा, एवं भरतपुर की टैफ की गुमटियों के विकास एवं मरम्मत के लिये राशि रूपये 14.96 लाख, अलवर पर्यटक सहायता बल की गुमटियों हेतु राशि रूपये 2.71 लाख तथा जयपुर पर्यटक सहायता बल की गुमटियों हेतु 8.00 लाख कुल राशि रूपये 25.87 लाख का बजट स्वीकृत किया। उक्त पर्यटक स्थालों पर पर्यटक सहायता बल की गुमटियों की मरम्मत एवं नवीन गुमटियों का निर्माण कार्य करवाया गया।
3. पर्यटक सहायता बल के सुदृढीकरण हेतु टैफ कार्मिकों को आधुनिक संसाधानों युक्त किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में 09 रेडियो सेट्स हेतु राशि रूपये 2.50 लाख का 09 मोटर साईकिलों हेतु राशि रूपये 5.85 लाख का बजट स्वीकृत किया। 09 रेडियों सेट्स क्रय किये जाकर पर्यटक सहायता गल कर्मिकों को उपलब्ध कराये गये। 09 मोटरसाईकिलों के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4. पर्यटक सहायता बल के कार्मिकों को पर्यटन क्षेत्र के क्रिया-कलापों, पर्यटकों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके साथ व्यवहार, पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 15 व 16 सितम्बर, 2020 ऑन लाईन पर्यटन निदेशालय, मुख्यालय जयपुर, दिनांक 25 से 27 अगस्त 2022, सेन्टर फॉर ट्रूरिज्म पुलिस, सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ, पुलिस सीक्युरिटी एण्ड क्रीमिनल जस्टिस, जोधपुर तथा दिनांक 17.04.2023 से 21.04.2023 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में विशेष प्रशिक्षण का आयोजन कर पर्यटक सहायता बल कर्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
5. पर्यटक स्थलों पर बिना लाईसेन्स के पर्यटकों को गाईड करने, पर्यटकों को परेशान करने आदि के सम्बन्ध में पर्यटक सहायता बल द्वारा लपकों को पकड़ा जाकर निम्न प्रकार से पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाहियां करवाई गई :—

वर्ष	लपकों का विरुद्ध कार्यवाहिया
2021	193
2022	236
2023 (जून तक)	152


## पर्यटक स्थलों पर पर्यटको के साथ सहयोग एवं सहायता

1	<p><b>अजमेर, दिनांक 8 सितम्बर 2021:</b> मध्यप्रदेश का एक समूह पुष्कर घूमने आया। समूह के साथ आई एक महिला, उम्र 60 वर्ष, समूह से बिछड़ कर बाजार मे गुम हो गई। एक फेसबुक सदस्य ने मोबाईल पर उसकी फोटो डाली। टैफ कर्मियों के सहयोग से गुमशुदा महिला की तलाश कर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया</p>	
2	<p><b>जोधपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2021:</b> एक पर्यटक श्री हनुमान प्रसाद निवासी गोपावास, जिला पाली (मोबाईल नं 9979418913) जो कि मंडोर बाग मे घूमने आया हुआ था, को टैफकर्मियों द्वारा उसका खोया हुआ मोबाईल ढूँढकर सुपुर्द किया गया</p>	
3	<p>दिनांक 14.04.2022 को दिल्ली से बीकानेर घूमने आये पर्यटक श्री सीताराम का मोबाईल, तीन हजार रुपये मय बैग के गुम हो जाने पर पर्यटक सहायता बल ने टैक्सी चालक को तलाश कर उनका सामान वापस दिलवाया।</p>	
4	<p>दिनांक 17.05.2022 को श्री अंकुर कुमार निवासी अखिलेश महेश्वरी सेवा सदन, जोधपुर अपने मित्र को बस मे बैठाने राईकाबाग आया, जहां उसका पर्स जिसमे 4000/-रुपये, पेन कार्ड आधारकार्ड, गाड़ी की आर सी. थे खो गया। टैफ जोधपुर द्वारा खोया हुवा पर्स मय नकद एवं दस्तावेज के श्री अंकुर कुमार को लोटाया गया।</p>	

5	<p>दिनांक 18.05.2022 को गुजरात से आबू पर्वत घुमने आये पर्यटक श्री हिम्मत भाई अपना मोबाइल नक्की झील पर भूल गया। जिसे पर्यटक सहायता बल ने पर्यटक को वापस लोटाया।</p> 	
6	<p>दिनांक 12.06.2022 को पर्यटक गिरीश भाई गुजरात से आबू-पर्वत घुमने आया इस नक्की झील पर उसकी कार की चाबी खो गई। टैफ द्वारा कार की चाबी तलाश कर पर्यटक को लोटाई गई। जिस पर पर्यटक ने टैफ के कार्य की सराहना की</p>	
7	<p>दिनांक 30.07.2022 को विदेशी पर्यटक सन्स्कृती न्यायालवाली जोधपुर घुमने आया जिसका मोबाइल मण्डोर गाड़न में घुमने के दौरान गुम गया। पर्यटक सहायता बल द्वारा पर्यटक का मोबाइल तलाश कर पर्यटक को लोटाया गया।</p>	

8	<p>दिनांक 22.08.2022 को आमेर महल में सेना के लेफिटडेन्ड के फर्जी परिचय पत्र से आमेर महल में प्रवेश करने वाले बी.आर. सायत को टैफ कोर्डिनेटर की सतर्कता के कारण पकड़ा गया। इस बाबत दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए। घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना आमेर में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।</p>	 <p>जयपुर 24-08-2022</p> <p><b>दैनिक भास्कर</b></p> <p><b>सेना के लेफिटेनेंट का फर्जी कार्ड लेकर आमेर महल में घुसने का प्रयास, गिरफ्तार</b></p> <p>जयपुर   सेना के लेफिटेनेंट का फर्जी कार्ड लेकर आमेर महल में घुसने का प्रयास करने वाले युवक को महल प्रशासन ने फकड़ रखा। फकड़ रखा युवक कलाम साक्षत नामौर के मारोट रिहाय महाना शब्द का गुने वाला है। थानाधीस शिव नाथपण ने बताया कि आमेर महल में पर्यटक महायता कोर्डिनेटर मार्गिनेल राठोड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आप्यों ड्रेस में युवक लेफिटेनेंट का कार्ड दिखाकर आमेर महल में घुसने का प्रयास कर रहा है। कार्ड चेक किया तो उस पर 'जूह मंजलपा से जरी लिखा हुआ था। युवक से सम्झौते में पुछताछ की तो उसने बताया कि फर्जी कार्ड है।</p>
9	<p>दिनांक 02.09.2022 को गुजरात से आबू-पूर्वत घुमने आये पर्यटक की मोटरसाइकिल रुशिखर की ओर जाने के दौरान देलवाड़ा के पास स्लीप होने तथा दुर्घटना होने पर टैफ द्वारा घायल पर्यटक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर उपचार करवाया गया।</p>	



13	<p>दिनांक 15.10.2022 को आमेर हाथीगांव में सउदी अरब निवासी पर्यटक से हाथी सवारी के 2000/- अतिरिक्त चार्ज करने पर पर्यटक सहायता बल कर्मियों ने हाथी मालिक से पर्यटक को 2000/-रुपये वापस लोटाये।</p>	
14	<p>दिनांक 11.10.2022 को पुष्कर में तीन विदेशी युवतियों के साथ एक व्यक्ति को सावित्री माता मंदिर में सदिग्ध पाये जाने पर टैफ द्वारा चैक किया गया। विदेशी फांस नागरिका ने लिखित में दिया कि उन्हे कोई शिकायत नहीं है।</p> <div style="text-align: center;">  <p>The note is written in English and Hindi. It says:</p> <p>11/10/22      Alexia D P Rocha POSTE N° 3110 85524 FRANCE, 3 RUE GRISGAIN 61140 75018 PARIS, FRANCE Mobile: 28 889 2322 [23015] Present - 24 889 2322 [23015]</p> <p>PUSHKAR - HOTEL LANDS CAMP DERA Arrived 11/10/22 - 12/10/22</p> <p>Rakesh Choudhary VIT - BHAVNATHAR VIT - Pimpri Dated - Shreyash Mob - 9958073529</p> <p>If we get any incident in pushkar area that we responsible of the H.</p> <p>We are 3 French girl and 1 single Indian boy with we are friend then no objection -</p> <p>Rakesh - Pauline</p> </div>	
15	<p>पर्यटक श्री कपिल कोठारी से वाईड हेरिटेज डेजर्ट केम्प जैसलमेर के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की गई प्रकरण में दिनांक 02.01.2023 को ई'-मेल पर शिकायत प्राप्त होने तथा जांच करवाई कराये जाने पर वाईड हेरिटेज डेजर्ट जैसलमेर के कार्मिक आदेश खान ने राशि रुपये 9000/-परिवादी को लोटाये। परिवादी द्वारा रुपये स्वीकार नहीं किये गये। उनमाद खान की रिपोर्ट पर प्रकरण पुलिस थाना जैसलमेर में विचाराधीन है।</p>	

16	शिवानी सिंदे द्वारा 2 कम्पनियों को सामान सप्लाई ऑडर निरस्त किया गया। कम्पनियों द्वारा परिवादिया को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर दिनांक 27.3.2023 को शिकायत प्राप्त होने पर पर्यटक सहायता बल द्वारा जांच करने पर दोनों कम्पनियों ने परिवादी को अग्रिम राशिया लोटाई। उक्त बाबत परिवादिया ने ई-मेल पर धन्यवाद दिया।
17	दिनांक 28.05.2023 को हाथीगांव आमेर जयपुर में पर्यटक श्री रजा बाठिया से हाथीगांव में पर्यटन पर कार्मियों द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने की शिकायत प्राप्त होने पर पर्यटक सहायता बल द्वारा जांच एवं हस्तक्षेप करने पर अधिक वसूली राशि 5000/:रूपये परिवादी को लोटाई गई।